झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

सं0–7/खा0म0(विविध)–313/14 /रा., राँची, दिनांक–

:: संकल्प ::

विषय : **खासमहाल भूमि की लीज बन्दोबस्ती/लीज नवीकरण के क्रम में लीज रेन्ट की वृद्धि एवं भूमि के पुर्नग्रहण नीति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या–1239/रा, दिनांक– 29.03.2016 में संशोधन करने के संबंध में।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0–1239/रा., दिनांक–29.03.2016 के द्वारा लीज नवीकरण की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्यान्तर्गत खासमहाल भूमि के लीज नवीकरण की शक्ति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों एवं उपायुक्तों को प्रदान किए जाने के उपरान्त उपायुक्त के स्तर से लीज नवीकरण में हो रही कठिनाईयों एवं इन्हें दूर किए जाने के संबंध में मंतव्य/सुझाव प्राप्त किया गया।

2. सरकार द्वारा वृहत पैमाने पर अभियान चलाकर खास महाल लीज नवीकरण के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

3. पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या–1239, दिनांक–29.03.2016 की कंडिका–4 (iii) में उल्लिखित सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगने की संभावना जिलों द्वारा प्रतिवेदित है।

4. खास महाल मैनुअल में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र (Succession Certificate) निर्गत करने हेतु कोई सक्षम प्राधिकार उल्लिखित नहीं है। खासमहाल मैनुअल Rule-39 Fees for Mutation cases, "So far as the Khasmahal is concerned succession by inheritance does not effect the position of the occupancy Raiyat." नामांतरण के मामलो में वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी चिन्हित करते हुए अंचलाधिकारियों द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी जाती है।

5. भू–अर्जन के मामले में भू–अर्जन से अर्जित भूमि के मृत पंचाटियों के भूमि का मुआवजा वितरण कानूनगो/अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित मृत पंचाटी के वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी मानते हुए Indemnity Bond (क्षतिपूर्ति बंधपत्र) निष्पादन कराते हुए मुआवजा राशि वितरित की जाती है। इस प्रक्रिया से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत हेतु सक्षम न्यायालय (जिला सत्र न्यायाधीश) में लगने वाले समय से बचने एवं तीव्र गति से भू–अर्जन प्रक्रिया पूर्ण करने के क्रम में प्रक्रिया की जटिलता का सरलीकरण किया गया है।

6. अतः सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–1239/रा., दिनांक–29.03.2016 के कंडिका–4 (iii) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है :–

कृ0पृ0उ0

(i) भू–अर्जन के मामलों में अपनायी गयी प्रक्रिया की भांति ही खास महाल भूमि से संबंधित विवाद रहित मामलों में जहाँ मूल लीजधारी की मृत्यु हो चुकी हो, मृत लीजधारी का अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर अनुमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी मानते हुए Indemnity Bond (क्षतिपूर्ति बंधपत्र)/शपथ पत्र के साथ मृत लीजधारी के वंशजों से लीज नवीकरण का आवेदन पत्र प्राप्त कर लीज नवीकरण किया जा सकेगा।

(ii) विवादित मामलों की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश/निर्णय सर्वोपरी एवं बाध्यकारी होगा।

पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं0–1239/रा., दिनांक–29.03.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं0–1239/रा., दिनांक–29.03.2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–28.11.2017 में मद संख्या–02 के रूप में उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– **इस संकल्प को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 5727 /राँची, दिनांक– 30-11-17

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/11/17

सरकार के संयुक्त सचिव